संख्या-78/2015/3045/92-1-2015-12(अधि0)/2015

प्रेषक,

शिशिर कुमार यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियंता,
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, लखनऊ: दिनांक: 09 जुलाई, 2015

विषय:- स्व0 देवी किशोर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, संगणक, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा के स्वयं की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-48/ग्रा0अ0वि0/बजट/चि0प्रति0/आगरा/2014-15, दिनांक 29-6-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्व0 देवी किशोर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, संगणक, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा के स्वयं की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में शासन के पत्र संख्या-44/2015/1387/92-1-2015-12(अधि0)/2015, दिनांक 27-5-2015 में भुगतान हेतु उल्लिखित लेखाशीर्षक सेवारत कार्मिकों से संबंधित होने के कारण उसमें यथावश्यक संशोधन कर सेवानिवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा उपचार हेतु प्राविधानित लेखाशीर्षक के अधीन भुगतान किये जाने के संबंध में संशोधित आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासन के उपर्युक्त पत्र दिनांक 27-5-2015 के माध्यम से स्व0 देवी किशोर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, संगणक, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा के चिकित्सा पर व्यय धनराशि रू0-6,07,173.00 (रूपये पॉच छः लाख सात हजार एक सौ तिहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-ग्रामीण अभियंत्रण सेवा-49-चिकित्सा व्यय के नामे डाले जाने का उल्लेख किया गया था।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त लेखाशीर्षक सेवारत कार्मिकों से संबंधित होने के कारण आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 29-6-2015 द्वारा किये गये अनुरोध के अनुक्रम में शासन के उक्त पत्र दिनांक 27-5-2015 में उल्लिखित उपर्युक्त लेखाशीर्षक इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि स्व0 देवी किशोर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, संगणक, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा के चिकित्सा पर व्यय धनराशि रू0-6,07,173.00 (रूपये पॉच छः लाख सात हजार एक सौ तिहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-62 के लेखाशीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हितलाभ आयोजनेत्तर-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों तथा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-01 दिनांक 08 नवम्बर 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उनके आश्रितों को विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

उपर्युक्त शासनादेश संख्या-44/2015/1387/92-1-2015-12(अधि0)/2015, दिनांक 27-5-2015 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी। उक्त से संबंधित समस्त बिल वाउचर्स एवं अनिवार्यता प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न हैं, जिसकी प्राप्ति सूचना कृपया शासन को लौटती डाक से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-78/2015/3045(1)/92-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, आगरा।
4- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा।
5- श्रीमती निर्मला देवी श्रीवास्तव पत्नी स्व0 देवी किशोर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, संगणक, निवास-102, शहजादी मण्डी आगरा कैण्ट आगरा-282001 उ0प्र0।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।